भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. **1318**

शनिवार, 19 सितम्बर 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

ऐतिहासिक विरासत के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को वित्तीय सहायता

1318. श्री रमेश चन्द्र कौशिकः

श्री दिलीप शइकीयाः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पर्यटन को बढ़ावा देने तथा ऐतिहासिक स्मारकों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं**;**

(ख) क्या सरकार का विचार वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए ऐतिहासिक विरासत विकसित करने के लिए असम तथा अन्य सभी राज्यों सहित पूर्वोत्तर राज्यों को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने का है**;** और

(ग) यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल)

(क**):** केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ऐतिहासिक स्मारकों का पुनरुद्धार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों का कार्य है **।** तथापि, पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन तथा प्रशाद नामक अपनी योजनाओं के अंतर्गत पूरे भारत में फैले ऐतिहासिक स्मारकों/प्राकृतिक/पर्यटक स्थलों को और अधिक पर्यटक अनुकूल बनाने के लिए उन स्थलों और उनके आसपास पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/ केंद्रीय एजेंसियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है **।**

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने **"**एक विरासत को अपनाएं**:** अपनी धरोहर अपनी पहचान**"** परियोजना आरंभ की है जो एक सुनियोजित तथा चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में फैले विरासत/प्राकृतिक/पर्यटक स्थलों को पर्यटक अनुकूल बनाने के लिए वहां पर्यटन सुविधाओं के

विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का एक संयुक्त प्रयास है । इस परियोजना के अंतर्गत पूरे भारत में **25** स्थलों और **2** तकनीकी इंटरवेंशन के लिए **12** स्मारक मित्रों को **27** समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रदान किए गए हैं ।

उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें/कार्यक्रम/ योजनाएं शुरू की है जिनका विवरण निम्नलिखित है :

i. अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों के सहयोग से देश में विकास हेतु **19** प्रतिष्ठित स्थलों को अभिज्ञात किया गया ।
ii. अतुल्य भारत **2.0** अभियान के माध्यम से विभिन्न पर्यटन स्थलों सहित भारत का संवर्धन एक संपूर्ण पर्यटन गंतव्य के रूप में किया गया ।
iii. अतुल्य भारत वेबसाइट को नए सिरे से तैयार करना जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में स्थित पर्यटन स्थलों/गंतव्यों से संबंधित सूचना उपलब्ध हो ।
iv. भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत के संवर्धन और प्रदर्शन के उद्देश्य से बौद्ध वेबसाइट-**indiathelandofbuddha** आरंभ की गई ।

(ख) और (ग): कोरोना महामारी के मद्देनजर वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय का ऐतिहासिक विरासत के विकास के लिए असम तथा अन्य सभी राज्यों सहित पूर्वोत्तर राज्यों को कोई वित्तीय पैकेज प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है । तथापि पर्यटन मंत्रालय ने असम तथा अन्य सभी राज्यों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में पर्यटन क्षेत्र में कोविड-**19** महामारी के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) होटलों, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट/होम स्टे तथा पर्यटन सेवाप्रदाताओं के लिए प्रचालन संबंधी सिफारिशें तैयार की गई है और व्यवसाय की निर्बाध बहाली सुनिश्चित करने के लिए **8** जून **2020** को जारी की गई है ।

(ii) ऐसे होटलों तथा अन्य आवास इकाइयों जिनका परियोजना अनुमोदन/पुनःअनुमोदन तथा वर्गीकरण/ पुनः वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने वाला है उनकी अनुमोदन अथवा प्रमाणन की वैधता अवधि को **30** सितंबर **2020** तक के लिए बढ़ा दिया गया है ।

(iii) मंत्रालय ने होटलों, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट तथा अन्य इकाइयों के सुरक्षित प्रचालन के लिए कोविड-19 तथा उसके पश्चात की स्थिति में जारी दिशा निर्देशों/ एस ओ पी के कारगर कार्यान्वयन के लिए साथी (सिस्टम फॉर एसेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) नामक एक पहल की है ।

(iv) पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों की मान्यता को स्वत: छह माह के लिए बढ़ा दिया है । जिन्होंने मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए हैं उन्हें अपेक्षित प्रक्रिया के पूरा होने तक 6 माह के लिए अस्थाई रूप से मान्यता प्रदान की गई है।

(v) बाजार विकास सहायता (एमडीए) के अंतर्गत हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों के संशोधन की प्रक्रिया चल रही है ताकि इस योजना के दायरे और पहुंच में विस्तार किया जा सके ।

(vi) पर्यटन मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर देश के उत्पादों, महोत्सवों, खानपान आदि के संवर्धन जैसे अनेक नवीन उपायों के माध्यम से घरेलू पर्यटन पर फोकस किया है । यह मंत्रालय "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यकलापों का आयोजन कर रहा है । मंत्रालय ने लॉक डाउन की अवधि के दौरान विभिन्न गंतव्यों के संवर्धन के लिए अनेक शहरों की हवाई फोटोग्राफी का कार्य प्रारंभ किया है । इसी प्रकार आरसीएस- उड़ान के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल के वित्तपोषण और महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य तक सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के साथ विचार-विमर्श द्वारा अंतिम छोर तक पहुंच को लक्षित किया जा रहा है ।

(vii) पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटक गंतव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 'देखो अपना देश' वेब श्रृंखला आरंभ की है ।

*****